न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा।

<u>विवाह–विच्छेद वाद संख्या–43 / 2021</u>

प्रदीप कुमार पोद्दार...वादी

बनाम्

शिवानी कुमारी उर्फ कोमल..प्रतिवादिनी

<u>22.04.2024</u> वादी अनुपस्थित। बार–बार पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद वादी के साक्ष्य हेतु दिनांक 03.11.2023 से चला आ रहा है। तभी से वादी की ओर से कभी समयावेदन तो कभी वकालतन हाजिरी दी जा रही है। वादी दिनांक 07.02.2024 से लगातार अनुपस्थित चला आ रहा है। वादी के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें इस मुकदमे में कोई रूचि नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वाद को बिना गुण–दोष पर विचार किए अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तार हो।

लेखापित

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
सहरसा।